

## जनपद शामली पुलिस



## --सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04.11.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित पशु कटान की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.10.2024 को थाना कैराना पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत अकबरपुर सुन्हैटी के जंगल में प्रतिबन्धित पशु कटान होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 04.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा गोकशी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त फरमान पुत्र भुल्लर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.साजिद उर्फ बटार पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजेश सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 मौहम्मद आबिद थाना कैराना जनपद शामली।

